

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 136] No. 136] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2011/फाल्गुन 24, 1932

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2011/PHALGUNA 24, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2011

सा.का.नि. 215(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (संशोधन) नियम, 2011 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची I में,—
 - (क) 'पैट्रोल या मिट्टी के तेल द्वारा संचालित जैनरेटर सैट के लिये शोर सीमा' से संबंधित क्रम संख्यांक 91 के पैरा 8 के क्रम संख्या (2) पर विद्यमान 'प्रमाणीकरण निकाय' राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली का नाम हटाया जाएगा और विद्यमान क्रम संख्यांक (3), (4) और (5) को क्रमशः (2), (3) और (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार से पुनः संख्यांकित मद संख्या (4) के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--
 - "(5) इंटरनेशनल सेंटर फॉर आटोमोटिव टेक्नोलॉजी, मानेसर, हरियाणा; और
 - (6) राष्ट्रीय परीक्षणशाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।" ।
 - (ख) 'डीजल द्वारा संचालित जैनरेटर सैट के लिये शोर सीमा' से संबंधित क्रम संख्यांक 94 के पैरा 3.6 'अधिकरण प्रमाणीकरण के लिये प्राधिकृत संस्था, में क्रम संख्यांक (ii) पर विद्यमान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली का नाम 'प्रमाणीकरण के लिये प्राधिकृत अधिकरण' भी सूची से हटाया जाएगा और विद्यमान क्रम संख्यांक (fii), (iv) तथा (v) को क्रमशः संख्यांक (ii), (iii) और (iv) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित करने के पश्चात् मद संख्या (iv) के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--
 - "(v) इंटरनेशनल सॅटर फॉर आटोमोटिव टेक्नोलॉजी, मानेसर, हरियाणा; और
 - (vi) राष्ट्रीय परीक्षणशाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।" ।

[फा. सं. क्यू-15022/2/01-सी.पी.ए.]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे; और तत्पश्चात् सं. का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987 द्वारा संशोधित किए गए थे और सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 512(अ), तारीख 9 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 595(अ), तारीख 21 अगस्त, 2009; सा.का.नि. 794(अ), तारीख 4 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 826(अ), तारीख 1 जनवरी, 2010, सा.का.नि. 61(अ), तारीख 5 फरवरी, 2010, सा.का.नि. 485(अ), तारीख 9 जून, 2010, सा.का.नि. 608(अ), तारीख 21 जुलाई, 2010, सा.का.नि. 793(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2010 और सा.का.नि. 809(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2010 द्वारा अभी हाल में संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2011

G.S.R. 215(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Amendment) Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I,-
 - (a) in serial number 91 relating to 'NOISE LIMIT FOR GENERATOR SETS RUN WITH PETROL OR KEROSENE', in paragraph 8, 'Certification body' at serial number (2), the name of National Physical Laboratory, New Delhi shall be deleted and existing serial numbers (3), (4) and (5) below shall respectively be renumbered as (2), (3) and (4), and after item number (4) so renumbered, the following item numbers and entries shall be inserted, namely:—
 - "(5) International Centre for Automotive Technology, Manesar, Haryana; and
 - (6) National Test House (Northern Region), Ghaziabad, Uttar Pradesh.".
 - (b) in serial number 94 relating to 'NOISE LIMIT FOR GENERATOR SETS RUN WITH DIESEL', in paragraph 3.6, 'Authorised Agencies for Certification' at serial number (ii), the name of National Physical Laboratory, New Delhi shall be deleted from the list of 'Authorised Agencies for Certification' and existing serial numbers (iii), (iv) and (v) below shall respectively be renumbered as (ii), (iii) and (iv), and after item number (iv) so renumbered, the following item numbers and entries shall be inserted, namely:—
 - "(v) International Centre for Automotive Technology, Manesar, Haryana; and
 - (vi) National Test House (Northern Region), Ghaziabad, Uttar Pradesh.".

[F. No. Q-15022/2/01-CPA]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844(E), dated 19th November, 1986; subsequently amended vide S.O. 433(E), dated 18th April, 1987; and recently amended vide G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 512(E), dated the 9th July, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595(E), dated the 21st August, 2009; G.S.R. 794(E), dated the 4th November, 2009; G.S.R. 826(E), dated the 16th November, 2009; G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 2010; G.S.R., 61(E), dated the 5th February, 2010; G.S.R. 485(E), dated the 9th June, 2010; G.S.R. 608(E), dated the 21st July, 2010; G.S.R. 739(E), dated the 9th September, 2010; and G.S.R. 809(E), dated the 4th October, 2010.